

परियोजना का नाम- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मियगाड से कुनारा तक मोटर मार्ग का निर्माण।

(प्रयोज्य एन-सी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विरचित आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाती है।)

विरचित आख्या

उपरोक्त मोटर मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 790/11-2/08-34 (प्र०अ०)/07 दिनांक 20 मार्च 2008 द्वारा रु० 264.00 लाख की प्राप्ति है। यह मोटर मार्ग मोरी नटवाड़ सांकी मोटर मार्ग परिवर्तित समरेखण के किमी 8 से प्रारम्भ होकर ग्राम कुनारा तक मोटर मार्ग आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा।

उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति 12 कि०मी० लम्बाई हेतु प्राप्त थी, इस मार्ग का निर्माण मोरी नटवाड़ सांकी मोटर मार्ग के कि०मी० 4 मियगाड से प्रारम्भ होना था, किन्तु मोरी नटवाड़ सांकी परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग का निर्माण होने से वर्तमान में मोटर मार्ग का समरेखण परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग के कि०मी० 8 से प्रारम्भ किया गया है, जिस कारण मात्र 3.50 कि०मी० लम्बाई में मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कुनारा को संयोजकता प्रदान की जा सकेगी।

लक्षित ग्राम कुनारा में नगदी फसलों जैसे सब्ज, आलू, राजमा आदि का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। मोटर मार्ग के अभाव में 3.50 कि०मी० लम्बाई में मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कुनारा मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा तथा ग्रामीण मोटर मार्ग का उपयोग अपनी नगदी फसलों के ढुलान में कर पायेंगे।

मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.8175 हे० आरक्षित एवं सिविल सोयम वनभूमि की आवश्यकता होगी जिसका हस्तांतरण प्रस्ताव गठित किया गया है।

(वीरेंद्र कुमार)
आध्यात्मिक अभियंता
निर्माण खण्ड, न० 10 सि० वि०, पुरोला

उप वन भूमिक
टीसी वन भूमि,
पुरोला